

अध्याय 05: संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं आधारभूत ढांचा सिद्धांत — शॉर्ट नोट्स

1. संशोधन की आवश्यकता, कठोर बनाम लचीला समन्वय एवं भाग (XX)

संवैधानिक आयाम	संवैधानिक प्रावधान एवं दार्शनिक आधार (अनुच्छेद 368)
संवैधानिक अवस्थिति	संविधान के भाग (XX) में केवल एक अनुच्छेद — अनुच्छेद 368 (संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया)
ऐतिहासिक स्रोत	दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित
कठोर बनाम लचीला समन्वय	न अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर (Rigid — 3/4 राज्यों की सहमति), न ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीला (Flexible — साधारण कानून समान); ग्रैनविल ऑस्टिन: कठोरता व लचीलेपन का स्वर्णिम संतुलन (Synthesis)
शक्ति व प्रक्रिया स्पष्टीकरण	24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368 में संसद की विधायी नहीं बल्कि संविधान निर्मात्री शक्ति (Constituent Power) एवं प्रक्रिया दोनों समाहित हैं

प्रक्रिया के 7 चरण	संवैधानिक अधिदेश एवं प्रक्रियात्मक नियम (अनुच्छेद 368)
1. विधेयक की प्रस्तुति	संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है; राज्य विधानमंडलों में नहीं
2. प्रस्तुतकर्ता की स्थिति	विधेयक मंत्री अथवा गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) किसी के भी द्वारा पेश किया जा सकता है
3. राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति	संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Permission) की आवश्यकता नहीं होती
4. दोनों सदनों में पारण	प्रत्येक सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3) से पारित होना अनिवार्य
5. संयुक्त बैठक का अभाव	दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर गतिरोध सुलझाने हेतु संयुक्त बैठक (Joint Sitting — अनु. 108) का कोई प्रावधान नहीं (असहमति पर विधेयक समाप्त)
6. राज्यों का अनुसमर्थन	यदि संशोधन संघीय ढांचे से संबंधित है, तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत (Simple Majority) से अनुसमर्थन आवश्यक
7. राष्ट्रपति की अनिवार्य सहमति	दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य हैं (24वें संशोधन 1971 द्वारा 'सहमति देगा' अनिवार्य; वीटो या पुनर्विचार की शक्ति नहीं)

2. संविधान संशोधन की 3 विधियां (अनुच्छेद 368 के बाहर एवं अधीन)

संशोधन की विधि	पारित करने का बहुमत	संबंधित विषय एवं संवैधानिक उपबंध
1. साधारण बहुमत (Simple Majority)	उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50%+1 बहुमत (यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है — अनु. 4, 169, 239A)	नए राज्यों का प्रवेश/गठन/सीमा परिवर्तन (अनु. 2, 3, 4), राज्यों में विधान परिषद का सृजन/समाप्ति (अनु. 169), नागरिकता अर्जन व समाप्ति, संसद में गणपूर्ति (Quorum) व सदस्यों के वेतन/भत्ते, संसद की कार्यप्रणाली के नियम, राजभाषा का प्रयोग, 5वीं व 6वीं अनुसूची का प्रशासन
2. विशेष बहुमत (Special Majority)	सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत (अनुच्छेद 368 अधीन)	मूल अधिकार (Fundamental Rights — भाग III), राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP — भाग IV), तथा अन्य सभी उपबंध जो श्रेणी 1 एवं श्रेणी 3 में शामिल नहीं हैं
3. विशेष बहुमत + आधे राज्यों का अनुसमर्थन	संसद का विशेष बहुमत + कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत (Federal Provisions)	संघीय ढांचे से जुड़े उपबंध: (1) राष्ट्रपति का निर्वाचन व रीति (अनु. 54, 55), (2) संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार (अनु. 73, 162), (3) उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय (भाग V अध्याय 4, भाग VI अध्याय 5), (4) संघ व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण (7वीं अनुसूची), (5) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (4थी अनुसूची), (6) स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन

3. संशोधन प्रक्रिया की प्रमुख आलोचनाएं एवं कमियां

कमियां / आलोचना का आधार	संवैधानिक स्थिति एवं विधिक प्रभाव
विशेष संविधान सभा का अभाव	अमेरिका की तरह संशोधन हेतु किसी पृथक संवैधानिक सम्मेलन (Constitutional Convention) या परिषद का कोई प्रावधान नहीं; संसद ही संविधान निर्मात्री शक्ति का प्रयोग करती है
राज्यों को पहल का अधिकार नहीं	संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार केवल संसद को है; कोई भी राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता (केवल अनु. 169 का प्रस्ताव छोड़)
राज्यों के अनुसमर्थन की समय-सीमा नहीं	संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि राज्य विधानमंडल कितने समय के भीतर संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देंगे या अस्वीकार करेंगे
संयुक्त बैठक का अभाव	संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, जिससे उच्च सदन (राज्यसभा) को भी लोकसभा के समान वीटो शक्ति प्राप्त हो जाती है
न्यायिक समीक्षा का विस्तार	अस्पष्ट शब्दावली के कारण संशोधन प्रक्रिया अक्सर लंबी न्यायिक लड़ाइयों और मुकदमों में उलझ जाती है

4. आधारभूत ढांचा सिद्धांत — उद्भव की कालरेखा (1951 से 1973)

ऐतिहासिक वाद / संशोधन	वर्ष	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं संवैधानिक टकराव यात्रा
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ	1951	1st संशोधन वैध ठहराया; अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति में मूल अधिकारों में संशोधन भी शामिल है; अनु. 368 के तहत संशोधन अनु. 13 की 'विधि' में शामिल नहीं
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान	1965	17th संशोधन वैध; शंकरी प्रसाद निर्णय दोहराया; न्यायमूर्ति मुधोलकर ने अपने असहमति मत में प्रथम बार 'संविधान के बुनियादी तत्वों' (Basic Features)' का संकेत दिया
गोलकनाथ बनाम पंजाब (11 जज)	1967	6:5 बहुमत से शंकरी प्रसाद का फैसला पलटा; संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती; अनु. 368 केवल प्रक्रिया है शक्ति नहीं; भावी लक्ष्मी अधिनिर्णय (Prospective Overruling)
24वाँ संशोधन अधिनियम	1971	संसद ने अनु. 13 व 368 में संशोधन किया; अनु. 368 में संशोधन शक्ति व प्रक्रिया दोनों समाहित; अनु. 13 की कोई बात अनु. 368 पर लागू नहीं; राष्ट्रपति सहमति हेतु बाध्य
केशवानंद भारती केस (13 जज)	1973	24 अप्रैल 1973 (7:6 बहुमत, 703 पृष्ठ); 24वें संशोधन को वैध माना; निर्णय: संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु 'आधारभूत ढांचे' (Basic Structure)' को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती

5. केशवानंद भारती के बाद के ऐतिहासिक वाद (मूल संरचना का विस्तार)

न्यायिक वाद	वर्ष	सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं घोषित आधारभूत तत्व
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण	1975	39वें संशोधन की धारा 4 रद्द (प्रधानमंत्री चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने का प्रयास); स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन एवं न्यायिक समीक्षा मूल ढांचा
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ	1980	42वें संशोधन द्वारा अनु. 368(4) व (5) में जोड़ी गई असीमित संशोधन शक्ति रद्द; संसद की सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढांचा; (FR) व (DPSP) का संतुलन मूल ढांचा
वामन राव बनाम भारत संघ	1981	24 अप्रैल 1973 की कटऑफ रेखा तय; इस तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल सभी कानून मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे
एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ	1994	पंथनिरपेक्षता (Secularism), संघवाद (Federalism) एवं लोकतंत्र को मूल ढांचा घोषित किया; अनु. 356 के तहत राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर न्यायिक रोक
आई.आर. कोएल्हो वाद (9 जज)	2007	पुनः पुष्टि: 9वीं अनुसूची को पूर्ण उन्मुक्ति नहीं; मूल अधिकारों के सार (Essence of FR) का उल्लंघन करने वाले कानून न्यायिक समीक्षा में शून्य होंगे
एनजेएसी वाद (NJAC Case — 99th)	2015	99वाँ संशोधन व राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम असंवैधानिक घोषित; न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) मूल ढांचा

6. आधारभूत ढांचे (Basic Structure) के प्रमुख तत्व (न्यायिक निर्णयों का सार)

क्र.	आधारभूत ढांचे के प्रमुख संवैधानिक तत्व	प्रथम निर्धारक न्यायिक वाद
1	संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution)	केशवानंद भारती (1973)
2	संप्रभु, लोकतांत्रिक एवं गणराज्यीय स्वरूप	केशवानंद भारती (1973)
3	धर्मनिरपेक्षता / पंथनिरपेक्षता (Secular Character)	केशवानंद (1973), बोम्मई (1994)
4	विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण	केशवानंद भारती (1973)
5	संविधान का संघीय स्वरूप (Federal Character)	केशवानंद (1973), बोम्मई (1994)
6	राष्ट्र की एकता एवं अखंडता (Unity and Integrity)	केशवानंद भारती (1973)
7	कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक-आर्थिक न्याय	केशवानंद भारती (1973)
8	न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Judicial Review — अनु. 32, 226)	इंदिरा गांधी (1975), मिनर्वा मिल्स
9	व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा	केशवानंद भारती (1973)
10	संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System)	केशवानंद भारती (1973)
11	विधि का शासन (Rule of Law)	इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975)
12	मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन	मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
13	समता का सिद्धांत (Principle of Equality)	इंदिरा गांधी (1975), मिनर्वा मिल्स
14	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव (Free and Fair Elections)	इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975)
15	न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary)	द्वितीय न्यायाधीश (1993), (NJAC 2015)
16	अनुच्छेद 368 के तहत संसद की सीमित संशोधन शक्ति	मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

आधारभूत ढांचा सिद्धांत का संवैधानिक सार: संसद की संविधान संशोधन शक्ति 'सृजनात्मक' (Original) नहीं बल्कि संविधान द्वारा 'प्रदत्त' (Conferred) सीमित शक्ति है। एक निर्मित निकाय अपने ही निर्माता (संविधान) के मूल दर्शन को नष्ट नहीं कर सकता।

7. प्रमुख ऐतिहासिक संविधान संशोधनों की मास्टर रिवीजन तालिका

संशोधन	वर्ष	प्रमुख विषय-वस्तु एवं ऐतिहासिक संवैधानिक प्रभाव
1st	1951	9वीं अनुसूची जोड़ी गई; अनु. 15(4) पिछड़ा वर्ग आरक्षण; अनु. 19(2) में लोक व्यवस्था व विदेश संबंध निर्बंध

संशोधन	वर्ष	प्रमुख विषय-वस्तु एवं ऐतिहासिक संवैधानिक प्रभाव
7th	1956	राज्य पुनर्गठन (14 राज्य व 6 UT); श्रेणियों (A,B,C,D) का अंत; दो या अधिक राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय
24th	1971	संसद को मूल अधिकारों में संशोधन शक्ति स्पष्ट; राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर सहमति देने हेतु बाध्य
42nd	1976	'मिनी संविधान': उद्देशिका में 3 शब्द (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता); भाग (IVA) 51A मूल कर्तव्य; 39A, 43A, 48A
44th	1978	संपत्ति मूल अधिकार समाप्त (अनु. 300A विधिक); 'आंतरिक अशांति' हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह'; अनु. 20-21 कभी निलंबित नहीं
52nd	1985	10वीं अनुसूची जोड़ी गई — दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) लागू
61st	1989	मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई (अनुच्छेद 326 में संशोधन)
73rd व 74th	1992	पंचायती राज संस्थाओं (11वीं अनुसूची — 29 विषय) एवं नगर पालिकाओं (12वीं अनुसूची — 18 विषय) को संवैधानिक दर्जा
86th	2002	अनुच्छेद 21A शिक्षा मूल अधिकार (6-14 वर्ष); अनु. 45 संशोधित; 11वाँ मूल कर्तव्य [51A(k)] जोड़ा गया

7. प्रमुख संविधान संशोधन (क्रमशः 91st से 106th)

संशोधन	वर्ष	प्रमुख विषय-वस्तु एवं ऐतिहासिक संवैधानिक प्रभाव
91st	2003	मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा/विधानसभा सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक सीमित (न्यूनतम 12 मंत्री)
99th	2014	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन — 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित
101st	2016	वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया (अनुच्छेद 246A, 269A, 279A अंतःस्थापित)
102nd	2018	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा (अनुच्छेद 338B व 342A अंतःस्थापित)
103rd	2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को शिक्षण संस्थानों व नौकरियों में 10% आरक्षण (अनु. 15(6) व 16(6))
104th	2020	लोकसभा व विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया; एंग्लो-इंडियन नामांकन व्यवस्था समाप्त
105th	2021	राज्यों को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने की शक्ति पुनः बहाल
106th	2023	नारी शक्ति वंदन अधिनियम — लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण (15 वर्ष हेतु)